न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर.ए.एस)
रेफरेंस प्रार्थना पत्र संख्या 139/2021
निर्णय दिनांक 15/3/2022

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दूदू जिला जयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र श्री घासी
2. सायर पत्नी बिरदा
3. जग्गा पुत्र बिरदा
4. जगमाल पुत्र बिरदा

समस्त जातियान गुर्जर , निवासीयान मोरडा, तहसील दूदू जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण

उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता

निर्णय

रेफरेंस प्रार्थना पत्र आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1982 एवं ग्राम मोरडा के नामान्तकरण संख्या 594 दिनांक 15.02.1983 व नामान्तकरण संख्या 846 दिनांक 13.04.2001 को निरस्त फरमाकर भूमि को पुनः सिवायचक लगानी दर्ज करने बाबत।

प्रार्थी तहसीलदार दूदू ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

1. यह कि विवादित आराजी साबिक ख.नं. 942/2 रकबा 6 बीघा वर्तमान खसरा नं. 1088 रकबा 1.52 है0 वाके ग्राम मोरडा, तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है। जो वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 202 में बिरदा पुत्र लादू कौम गुर्जर सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि आवंटन कमेटी के बैठक दिनांक 18.06.1982 बमुकाम मरवा की सिफारिश पर श्री बिरदा पुत्र लादू जिका ग्रमा मोरडा के नामान्तकरण सं. 594 दिनांक 15.02.1983 में ख.नं0 945/2 रकबा 6 बीघा बारानी 1 भूमि बिरदा पुत्र लादू कौम गुर्जर सा.देह गैर खातेदार स्वीकार होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया ग्राम मोरडा के नामा. संख्या 846 दिनांक 13.04.2001 से ख.नं. 945/2 रकबा 6 बीघा पर बिरदा पुत्र लादू कौम गुर्जर सा.देह खातेदार से खातेदार स्वीकार हुआ। जो वर्तमान रिकार्ड में भी दर्ज है।
3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल पुत्र घासी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू राजस्व ाद संख्या 308/2005 प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध दर्ज करवाकर प्रार्थना की, कि विवादाग्रस्त आराजी ग्राम मोरडा ख.नं. 945/2 रकबा 6 बीघा आवंटन वर्ष 1982 में आवंटन कमेटी ने भंवरलाल पुत्र घासी के कब्जे को अनदेखा कर स्व. बिरदा पुत्र लादू को आवंटित कर दी जो कतई गलत है। बिरदा का स्वर्गवास हो चुका है। भंवरलाल पुत्र घासी ने अपने वाद 308/2005 में यह भी वर्णित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

किया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 (1) सायर पत्नी बिरदा (2) जग्गा पुत्र बिरदा (3) जगमाल पुत्र बिरदा जाति गुर्जर निवासी मोरडा तहसील दूदू कानूनी वारिसान है जिन्होने दिनांक 20.12.2005 को ग्राम मोरडा में धमकी दी कि विवादग्रस्त आराजी हमारे पिता स्व. बिरदा के नाम अलॉट हुई थी का नामान्तकरण हमारे नाम खुलवाकर ऐसे व्यक्ति को विक्रय करेंगें जो तुम्हे बेदखल कर विवादित आराजी पर कब्जा कर लेगा। अतः विवादग्रस्त आराजी ख.नं. 945/2 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम मोरडा को वादी भंवरलाल पुत्र घासी जाति गुर्जर को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

4. यह कि न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी दूदू में प्रकरण संख्या 308/2005 की सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 (1) सायर पत्नी बिरदा (2) जग्गा पुत्र बिरदा (3) जगमाल पुत्र बिरदा जाति गुर्जर निवासी मोरडा तहसील दूदू आवंटी खातेदार बिरदा पुत्र लादू के वारिस न होकर बिरदा पुत्र मांगू के वारिस है। तथा विवादित भूमि पर कब्जा काश्त रामराज पिता रतनलाल, गोपाल, नन्दलाल, पिता भंवरलाल गुर्जर सा.देह का है। आवंटन बिरदा पुत्र लादू को हुआ है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके विधिक वारिसान न तो भूमि पर काबिज है एवं नही न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये है।

5. यह कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के प्रकरण संख्या 308/2005में निर्णय दिनांक 7/9/2020 द्वारा विवादित भूमि ग्राम मोरडा के साबिक ख.नं. 945/2 रकबा 6 बीघा हो ख.नं. 1088 रकबा 1.52 है0 के आवंटन निरस्त हेतु रेफरेंस प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। अतः रेफरेंस प्रकरण प्रस्तुत कर आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1982 एवं ग्राम मोरडा के नामान्तकरण संख्या 594 दिनांक 15.02.1983 व नामान्तकरण संख्या 846 दिनांक 13.04.2001 को निरस्त फरमाकर भूमि को पुनः सिवायचक लगानी दर्ज करने बाबत निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील नोटिस उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 15.03.2022 को अमल में लाई गयी। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के आदेश की पालना में प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार करने हेतु राजस्व मण्डल को प्रेषित करने हेतु निवेदन किया ।

हमनें पैराकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का भी अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार दूदू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि साबिक आराजी खसरा नं. 945/2 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम मोरडा तहसील दूदू में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नं0 1088 रकबा 1.52 है0 है। प्रश्नगत आराजी बिरदा पुत्र लादू सा. मोरडा की खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि संवत 2011 में सिवायचक दर्ज थी, जिसको बाद में बिरदा पुत्र लादू कौम गुर्जर को आवंटित किया गया है, वादी का उक्त भूमि पर कब्जा रहा है, तो वह बतौर अतिक्रमी रहा है।आराजी का आवंटन बिरदा पुत्र लादू द्वारा आवंटन कमेटी के समक्ष प्रार्थना पत्र के आधार पर आवंटन कमेटी द्वारा बाद जांच किया गया है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बिरदा पुत्र लादू के वारिस नहीं होकर बिरदा पुत्र मांगू के वारिस है। यदि प्रश्नगत भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है, तो कानूनी रूप से दोषी है। अतः अप्रार्थीगण का कब्जा बतौर अतिक्रमी ग्राम मोरडा के साबिक ख.नं. 945/2 रकबा 6 बीघा हो ख.नं. 1088 रकबा 1.52 है0 पर होने से व वास्तविक भूमि के खातेदारी का कब्जा न होने से ग्राम मोरडा के साबिक ख.नं. 945/2 रकबा 6 बीघा हो ख.नं. 1088 रकबा 1.52 है0 भूमि की निजी खातेदारी निरस्त करने एवं भूमि को वापिस राजस्व रिकार्ड सरकारी खाते में दर्ज करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में रेफरेन्स किया जाता है। पत्रावली आदेश की अतिरिक्त प्रतियों के साथ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 15.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू।